कानूनी जागरूकता श्रृंखलाः 14

जीने का अधिकार

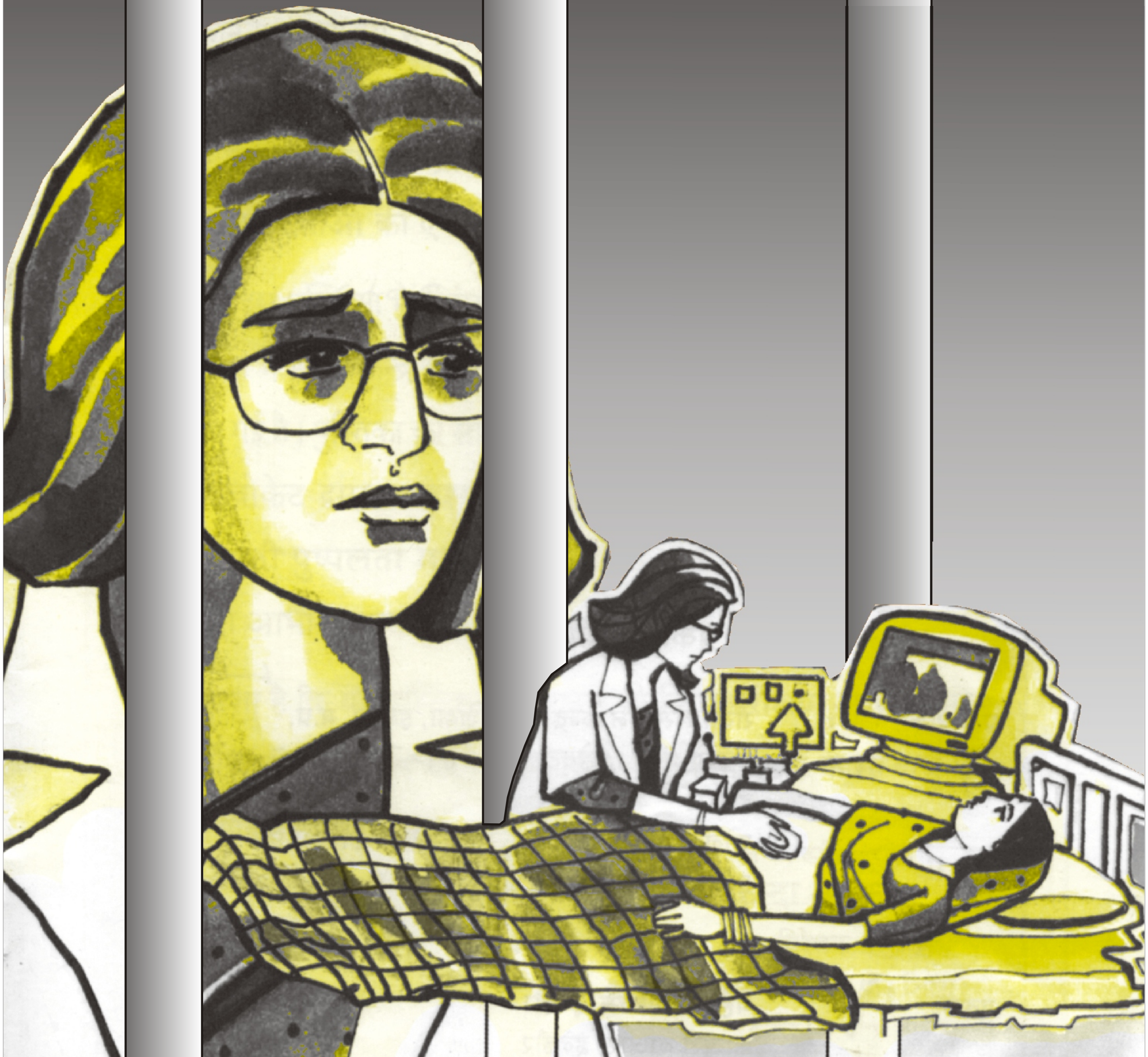

साक्षर भारत

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

कानूनी जागरूकता श्रृंखलाः 14

जीने का अधिकार

कोड नं.	:	004 (III)
लेखक	:	सीमा व्यास
चित्रांकन	:	पुष्पलता मालवी
संस्करण	:	मार्च, 2010
प्रतियाँ	:	1000
मूल्य	:	रुपये 12.00

© प्रकाशकाधीन

प्रकाशक : **राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा**
भारतीय ग्रामीण महिला संघ,
महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इंदौर-452010, म.प्र.
फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573
e-mail: srcmpindore@gmail.com
literacy@sify.com
Web: www.srcindore.org

मुद्रक : मेहता ग्राफिक्स

आमुख

जन सामान्य के हित के लिए शासन द्वारा अनेक कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं। प्राय: कानूनों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नवसाक्षरों को सरल भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनों पर पुस्तिकाओं की एक शृंखला प्रकाशित की जा रही है।

'जीने का अधिकार' पुस्तिका में लिंग परीक्षण अधिनियम की जानकारी सरल भाषा में हमारे केन्द्र की कार्यक्रम सहायक **श्रीमती सीमा व्यास** द्वारा प्रस्तुत की गई है। पुस्तिका की सामग्री का अवलोकन कर **श्री विमलेश व्यास** एडवोकेट द्वारा आवश्यक सुझाव प्रदान किए गए हैं। चित्रांकन **श्रीमती पुष्पलता मालवी** द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

आशा है कि यह पुस्तिका नवसाक्षरों को लिंग परीक्षण अधिनियम की जानकारी प्रदान करने में सहायक होगी। पुस्तिका के संबंध में सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

अंजली अग्रवाल
निदेशक (प्र.)
राज्य संसाधन केन्द्र,
प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

जीने का अधिकार

सुमन के पैर फिर भारी थे। उसकी सास सुखवंती का काम बढ़ गया था। वह गाँव की बड़ी–बूढ़ी औरतों से लड़का होने के टोने–टोटके पूछती रहती। वह चाहती थी कि इस बार लड़का ही हो। वैसे तो पहली बार भी वह लड़के की आस लगाए थी। पर सुमन को लड़की हुई।सुखवंती कई दिनों तक मुँह फुलाए रही। कुछ महीनों में पिंकी की मुस्कान ने उनका गुस्सा दूर कर दिया। पर उनकी लड़के की आस अधूरी ही रही।

इस बार सुखवंती ने मन में ठान लिया था। कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेगी। सारे उपाय करेगी और पोते का मुँह देखकर ही रहेगी।

तभी पता चला गाँव में कोई बाबा आए हैं। उनके पास इस परेशानी का हल है। सुखवंती तुरन्त बाबा के पास पहुँची। उसने बाबाजी को अपने मन की बात कही।

बाबा ने पहले तो एक सौ एक रुपए दक्षिणा ली। फिर एक पुड़िया में भभूत दी।कुछ मंत्र पढ़कर शीशी में थोड़ा सा पानी भी दिया।कहा– 'जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। इस बार बहू को मेरे आशीर्वाद से लड़का ही होगा।'

सुखवंती खुशी–खुशी घर आई। भभूत और पानी बहू को देते हुए बोली– 'बहू ले जल्दी से यह भभूत खा ले, और यह जल भी बाबा का नाम लेकर पी जा। बस, अब तो मेरी आस पूरी हो जाएगी। पता है, बाबा ने कहा है कि इस बार शर्तिया लड़का ही होगा।'

बहू ने चुपचाप भभूत और पानी ले लिया। सुखवंती का लड़का सुरेश पढ़ा–लिखा और समझदार था। वह इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता था। वह बोला– 'माँ, जिसे पैदा होना है वह तो गर्भ में आ चुका। वह लड़का है या लड़की ये भी ऊपर वाले ने तय कर दिया है। फिर ये बाबा अब क्या कर लेंगे?'

सुखवंती नाराज हो गई। बोली– 'पहले भी मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। नतीजा देखा, लड़की ही हुई। बहू, तू मेरे मन की पीड़ा समझती है ना। मेरी बात मान ले। मुझे पोते का मुँह देख लेने दे।'

ससुरजी बोले– 'बहू, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। इसका मन रखने को जल पी ले।'

सुमन ने चुपचाप जल पी लिया।

दूसरे दिन सुमन के ससुर और पति काम पर चले गए। तब

सुखवंती ने सुमन को तैयार किया। वह सुमन को लेकर डॉक्टरनी के पास गई। जब सुमन का नंबर आया, तो सुखवंती बोली– 'डॉक्टरनीजी, मेरी बहू के पैर भारी हैं। इसे पहली लड़की हुई थी। इस बार लड़का हो इसलिए मैं कल बाबा का मंतरा पानी और भभूत लाई थी। इसे तो भरोसा नहीं है बाबा की शक्ति पर। इसका समाधान तो बस आप ही कर सकती हैं। मैंने सुना है, आपके पास लड़का या लड़की की जांच करने की मशीन है। आप जांच करके बता दो कि इसे इस बार लड़का ही होगा। जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी।'

सुखवंती की बात सुनकर सुमन घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे कुछ कहते नहीं बना। डॉक्टर बोली– 'घबराओ मत सुमन। मुझ पर भरोसा रखो।' फिर सुखवंती से बोली– 'माँ जी, देखिए उस बोर्ड को। उस पर लिखा है, यहां भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। यह कानूनी अपराध है।'

सुखवंती आश्चर्य से बोली– 'ये कोई गुनाह है क्या? अरे ये जांच तो हम अपनी तसल्ली के लिए करवाते हैं।'

डॉक्टर बोली– 'तसल्ली तो कहने की बात है मांजी।

यहाँ भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। ये कानूनी अपराध है।

बताइए जांच में लड़की निकली तो क्या करेंगी?'

सुखवंती टाले हुए बोली– 'कुछ नहीं करेंगे। फिर से क्यों होगी लड़की? और लड़की होगी तो कोई उपाय तो निकालेंगे।'

डॉक्टर बोली– 'उपाय ये करोगे कि उसे गिरा दोगे। एक हत्या का पाप आएगा, इसका डर नहीं आपको? माँजी, ऊपरवाला सजा बाद में देगा, पहले हमारा कानून हमको सजा देगा।'

सुखवंती बोली– 'सजा? सजा क्यों देगा कानून?'

डॉक्टरनी बोली– 'अपने स्वार्थ के कारण आपको इसमें कोई अपराध नहीं दिखता। लड़कियों के जन्म पर रोक लगाना अपराध नहीं है क्या? माँजी, लड़का-लड़की दोनों समान हैं। बताइए, लड़कियाँ नहीं होंगी तो आप लड़कों के लिए बहुएँ कहाँ से लाएंगी?'

सुखवंती सोचते हुए बोली– 'ये तो सोचा नहीं कभी। लड़का जरूरी तो है। इतना भी जरूरी नहीं कि हत्या का पाप अपने सर लें। इस जुर्म की सजा भुगतें।'

डॉक्टरनी ने समझाते हुए कहा– 'माँजी, अब आप खुशी-खुशी आने वाले मेहमान की तैयारी कीजिए। गर्भ ठहरने के बाद

जादू–टोना कोई पविर्तन नहीं कर सकता। ऐसा वादा करने वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं और हाँ, अब कभी किसी बाबा के चक्कर में मत आना।'

जरा सोचिए

- क्या बाबा का मंतरा पानी पीने से लड़का हो सकता है?
- सुमन लिंग परीक्षण करवाना क्यों नहीं चाह रही थी?
- समाज में लोग लड़के के जन्म को क्यों जरूरी मानते हैं?
- गर्भ में लड़की की हत्या करना जुर्म क्यों हैं?
- समाज में लड़कों अनुपात में लड़कियों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? इसका परिणाम क्या होगा?

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

कुछ वर्षों पूर्व गर्भ में लिंग की जांच करने की तकनीक विकसित हुई। यह तकनीक गर्भ के शिशु की शारीरिक/मानसिक विकलांगता दूर करने हेतु उपयोगी है। इससे लिंग की जांच कर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद गर्भ में ही बीमारी का उपचार भी किया जा सकता है।

किंतु इस तकनीक का गलत उपयोग किया जाने लगा। लोग इसके उपयोग से गर्भ के शिशु के लिंग की जांच करवाने लगे। जांच में लड़की होने पर उसे गिराने जैसा अपराध भी करने लगे। जल्दी ही कन्या भ्रूण की हत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या तेजी से कम होने लगी।

इसे रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष स्थितियों में जांच हेतु स्वीकृति दी गई है।

निम्न स्थितियों में लिंग की जांच कानूनी मानी जाती है-

- गर्भ के शिशु में गुणसूत्र (क्रोमोसोम) की अनियमितता हो।
- गर्भवती महिला को दो या अधिक बार अचानक गर्भपात हुआ हो।
- गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो।
- गर्भवती महिला ने कोई ऐसी दवाई ली हो या जांच करवाई हो जिससे शिशु को शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो सकती हो।
- गर्भवती महिला में पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक विकलांगता हो। कोई आनुवंशिक बीमारी हो।

घटते लिंग अनुपात व तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए संसद ने **प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम** 1994 बनाया है। इसके अंतर्गत कोई भी प्रयोगशाला, जांच केन्द्र या क्लिनिक गर्भावस्था में शिशु का लिंग जानने के लिए किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता।

अधिनियम के तहत सजा -

- यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से या किसी दबाव में आकर लिंग का पता लगवाता है तो वह अपराधी है। इस अपराध की सजा 3 साल की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती है।
- लिंग की जांच करने वाले व्यक्ति या जांच केन्द्र के मालिक को भी सजा होगी। यह सजा 3 साल की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती है।

- अपराध दोबारा करने पर अपराधी को पांच साल की कैद व पचास हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।
- यदि पंजीकृत चिकित्सक (डाक्टर) अपराध करता है तो उसका पंजीयन पहले दो वर्ष के लिए तथा दूसरी बार अपराध करने पर हमेशा के लिए निरस्त किया जा सकता है।
- जांच के बाद यदि डॉक्टर या कम्पाउण्डर लिंग बता देते हैं तो यह अधिनियम का उल्लंघन है। इसके लिए उन्हें भी सजा हो सकती है।
- लिंग जांच का विज्ञापन देना भी अवैध व गैर कानूनी है। इससे संबंधित विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या केन्द्र को तीन साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।

आपको यदि कोई शिकायत हो तो आप उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित में दे सकते हैं।

एम.टी.पी. एक्ट 1971 (गर्भ का चिकित्सकीय समापन)

- लिंग जांच व उसके बाद गर्भपात करना दंडनीय अपराध है। किंतु कुछ स्थितियों में गर्भपात कराना कानूनन वैध है।
- ये स्थितियाँ एम.टी.पी. एक्ट 1971 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट) के अनुरूप हों। इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भपात गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर करवाया जा सकता है। यदि निम्न स्थितियाँ हों–
- गर्भावस्था के कारण माँ के जीवन को खतरा हो।
- बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया हो।
- परिवार नियोजन का कोई साधन असफल होने के कारण गर्भ ठहर गया हो।
- यदि शिशु विकलांग हो।
- गर्भपात गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। विशेष स्थितियों में दो डॉक्टरों की सलाह से 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। पांचवे महीने के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। ❑

कानूनी जागरूकता संबंधी हमारे प्रकाशन

◆ **मजदूरी कानून**	कानूनों से संबंधित जानकारी
◆ **हिन्दू विवाह कानून**	कानूनों से संबंधित जानकारी
◆ **भरण पोषण कानून**	कानूनों से संबंधित जानकारी
◆ **हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य**	कानूनों से संबंधित जानकारी
◆ **अधिकार की मांग**	समान वेतन कानून (कहानी)
◆ **मुस्कान**	भरण पोषण कानून (कहानी)
◆ **महिलाओं के कानूनी अधिकार**	महिलाओं से संबंधित कानून
◆ **अमन की राह**	मुस्लिम विवाह एवं भरण पोषण कानून (कहानी)
◆ **नीलोफर का दुख**	मुस्लिम संपत्ति कानून (कहानी)
◆ **राधा को सहारा मिल गया**	क्षतिपूर्ति अधिनियम (कहानी)
◆ **फौजदारी कानून**	फौजदारी कानून की जानकारी
◆ **बालश्रम कानून**	बालश्रम कानून की जानकारी
◆ **उपभोक्ता संरक्षण कानून**	उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी
◆ **साहूकारी अधिनियम**	साहूकारी अधिनियम की जानकारी
◆ **बंधुआ मजदूरी कानून**	बंधुआ मजदूरी कानून की जानकारी
◆ **कारखाना अधिनियम**	कारखाना अधिनियम की जानकारी
◆ **ठगिए मत ठगाइये मत**	उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी
◆ **हरियाली से खुशहाली**	वन संबंधी कानून की जानकारी
◆ **सच की जीत**	निशुल्क विधिक सहायता

प्रकाशक

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर, म.प्र.

महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इन्दौर- 452010 (म.प्र.)

फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573